

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-3

संख्या- 1887 / 37-67 एन.के.वी. / 1973

दिनांक 04 जून, 1973

-: अधिसूचना :-

प0आ0-775

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि जिला अलमोडा के निम्नलिखित क्षेत्र की भूमि के अव्यवसिति वितरण, भवनों के अनियोजित निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती को रोकने के लिए और समुचित योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार को दृष्टि से (उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 34, सन् 1958) के अधीन विनियमित करना अपेक्षित है।

अतएव अब उक्त अधिनियमित की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं-

विनियमित क्षेत्र, कौसानी-ल्वेशाल

पटवारी क्षेत्र कौसानी-ल्वेशाल के ग्राम

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. कौसानी        | 13. मझर चौरा     |
| 2. पिंगलाकोट     | 14. सौड़धार      |
| 3. चौकी          | 15. मुंगरो       |
| 4. अनशक्ति आश्रम | 16. कुड़ियाखाता  |
| 5. जाड़पानी      | 17. बल्दी ग्वाड़ |
| 6. बलना          | 18. नाकुरी       |
| 7. हथछीना        | 19. खालूखेत      |
| 8. जौणा          | 20. सौली         |
| 9. बगरी (तल्ली)  | 21. ढाई          |
| 10. बगरी (मल्ली) | 22. मौलीधार      |
| 11. क्यारी       |                  |
| 12. गेवाड़       |                  |

2- पटवारी क्षेत्र कौसानी-ल्वेशाल के अन्तर्गत आने वाले गांव

- 1- ल्वेशाल
- 2- किटाणी
- 3- चौखुटिया
- 4- हरछीना

आज्ञा से,  
सचिव।